रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1834] नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 28, 2015/भाद्र 6, 1937
No. 1834] NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 28, 2015/BHADRA 6, 1937

ग्रामीण विकास मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 28 अगस्त, 2015

का.आ. 2368(अ).—भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) (जिसे इसमें इसके पश्चात् भू.अ.पु.पु.उ.प्र.पा.अ. अधिनियम कहा गया है) 1 जनवरी, 2014 से प्रभावी हुआ;

और, भू.अ.पु.पु.उ.प्र.पा.अ. अधिनियम की चौथी अनुसूची में विनिर्दिष्ट अधिनियमितियों के अधीन भूमि अर्जन के मामलों को लागू प्रतिकर के अवधारण, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन से संबंधित अधिनियम के उपबंधों को जारी करने के लिए भू.अ.पु.पु.उ.प्र.पा.अ. अधिनियम की धारा 105 की उप-धारा (3) में उपबंध है, अधिसूचना जारी करने का उपबंध करती है ;

और, भू.अ.पु.पु.उ.प्र.पा.अ. अधिनियम की धारा 105 की उप-धारा (3) के अधीन अभिकल्पित अधिसूचना जारी नहीं की गई थी और भू.अ.पु.पु.उ.प्र.पा.अ. (संशोधन) अध्यादेश, 2014 (2014 का 9) 31 दिसम्बर, 2014 को प्रख्यापित किया गया था, जिसके द्वारा, अन्य बातों के साथ-साथ, भू.अ.पु.पु.उ.प्र.पा.अ. अधिनियम की चौथी अनुसूची में विनिर्दिष्ट अधिनियमितियों के अधीन भूमि अर्जन के मामलों को लागू प्रतिकर के अवधारण, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन से संबंधित अधिनियम के उपबंधों को विस्तारित करने के लिए भू.अ.पु.पु.उ.प्र.पा.अ. अधिनियम की धारा 105 का संशोधन किया गया है;

और, भू.अ.पु.पु.उ.प्र.पा.अ. (संशोधन) अध्यादेश, 2015 (2015 का 4) को भू.अ.पु.पु.उ.प्र.पा.अ. (संशोधन) अध्यादेश, 2014 के उपबंधों को निरन्तरता प्रदान करने के लिए 3 अप्रैल, 2015 को प्रख्यापित किया गया था ;

और, भू.अ.पु.पु.उ.प्र.पा.अ. (संशोधन) दूसरा अध्यादेश, 2015 (2015 का 5) को भू.अ.पु.पु.उ.प्र.पा.अ. (संशोधन) अध्यादेश, 2015 (2015 का 4) के उपबंधों को निरन्तरता प्रदान करने के लिए 30 मई, 2015 को प्रख्यापित किया गया था;

और, भू.अ.पु.पु.उ.प्र.पा.अ. (संशोधन) अध्यादेश, 2015 (2015 का 4) से संबंधित प्रतिस्थापन विधेयक परीक्षा और रिपोर्ट हेतु सदनों की संयुक्त समिति को निर्दिष्ट किया गया था तथा संयुक्त समिति के पास लंबित है;

और, संविधान के अनुछेद 123 के उपबंधों के अनुसार, भू.अ.पु.पु.उ.प्र.पा.अ. (संशोधन) दूसरा अध्यादेश, 2015 (2015 का 5) 31 अगस्त, 2015 को व्यपगत हो जाएगा जिसके कारण भू-स्वामियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है और जिसके परिणामस्वरूप उक्त अध्यादेश के अधीन भू-स्वामियों को यथाविस्तारित भू.अ.पु.पु.उ.प्र.पा.अ. अधिनियम की चौथी अनुसूची में विनिर्दिष्ट 13 अधिनियमों के अधीन भूमि अर्जन के मामलों में बढ़ाए गए प्रतिकर, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन की प्रसुविधाएं नहीं मिल सकेंगी;

और, केन्द्रीय सरकार, भू.अ.पु.पु.उ.प्र.पा.अ. अधिनियम के अधीन भू-स्वामियों को उपलब्ध प्रसुविधाओं को ऐसे समान रूप से स्थापित अन्य भू-स्वामियों, जिनकी भूमि अर्जित की गई है, को चौथी अनुसूची में विनिर्दिष्ट 13 अधिनियमितियों के अधीन विस्तारित करना आवश्यक समझती है ; और तदनुसार, उपर्युक्त कठिनाइयों को दृष्टि में रखते हुए, केन्द्रीय सरकार ने भू-स्वामियों के हित में उक्त अधिनिमितियों के अधीन भूमि अर्जन के मामलों को लागू किए गए प्रतिकर के अवधारण तथा पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन से संबंधित हितकारी उपबंधों को भूमि स्वामियों को फायदाप्रद लाभ का विस्तार करने और भू.अ.पु.पु.उ.प्र.पा.अ. अधिनियम के हितकारी उपबंधों को समान रूप से लागू करने का विनिश्चय किया है ;

अत: अब, केन्द्रीय सरकार, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा 113 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पूर्वोक्त कठिनाइयों को दूर करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात्:—

1. (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार (कठिनाइयां को दूर करना) आदेश, 2015 है।

(2) ये 1 सितम्बर, 2015 को प्रवृत्त होंगे।

2. उक्त अधिनियम की चौथी अनुसूची में विनिर्दिष्ट अधिनिमितियों के अधीन भूमि अर्जन के सभी मामलों में पहली अनुसूची के अनुसरण में प्रतिकर के अवधारण और दूसरी अनुसूची के अनुसरण में पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन तथा तीसरी अनुसूची के अनुसरण में अवसंरचनात्मक प्रसुविधाओं से संबंधित भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 के उपबंध लागू होंगे।

[फा. सं. 13011/01/2014-एलआरडी]

के. पी. कृष्णन, अपर सचिव

MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT

ORDER

New Delhi, the 28th August, 2015

S.O. 2368(E).—Whereas, the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (30 of 2013) (hereinafter referred to as the RFCTLARR Act) came into effect from 1st January, 2014;

And whereas, sub-section (3) of Section 105 of the RFCTLARR Act provided for issuing of notification to make the provisions of the Act relating to the determination of the compensation, rehabilitation and resettlement applicable to cases of land acquisition under the enactments specified in the Fourth Schedule to the RFCTLARR Act;

And whereas, the notification envisaged under sub-section (3) of Section 105 of the RFCTLARR Act was not issued, and the RFCTLARR (Amendment) Ordinance, 2014 (9 of 2014) was promulgated on 31st December, 2014, thereby, *inter-alia*, amending Section 105 of the RFCTLARR Act to extend the

provisions of the Act relating to the determination of the compensation and rehabilitation and resettlement to cases of land acquisition under the enactments specified in the Fourth Schedule to the RFCTLARR Act;

And whereas, the RFCTLARR (Amendment) Ordinance, 2015 (4 of 2015) was promulgated on 3rd April, 2015 to give continuity to the provisions of the RFCTLARR (Amendment) Ordinance, 2014;

And whereas, the RFCTLARR (Amendment) Second Ordinance, 2015 (5 of 2015) was promulgated on 30th May, 2015 to give continuity to the provisions of the RFCTLARR (Amendment) Ordinance, 2015 (4 of 2015);

And whereas, the replacement Bill relating to the RFCTLARR (Amendment) Ordinance, 2015 (4 of 2015) was referred to the Joint Committee of the Houses for examination and report and the same is pending with the Joint Committee;

As whereas, as per the provisions of article 123 of the Constitution, the RFCTLARR (Amendment) Second Ordinance, 2015 (5 of 2015) shall lapse on the 31st day of August, 2015 and thereby placing the land owners at the disadvantageous position, resulting in denial of benefits of enhanced compensation and rehabilitation and resettlement to the cases of land acquisition under the 13 Acts specified in the Fourth Scheduled to the RFCTLARR Act as extended to the land owners under the said Ordinance;

And whereas, the Central Government considers it necessary to extend the benefits available to the land owners under the RFCTLARR Act to similarly placed land owners whose lands are acquired under the 13 enactments specified in the Fourth Schedule; and accordingly the Central Government keeping in view the aforesaid difficulties has decided to extend the beneficial advantage to the land owners and uniformly apply the beneficial provisions of the RFCTLARR Act, relating to the determination of compensation and rehabilitation and resettlement as were made applicable to cases of land acquisition under the said enactments in the interest of the land owners;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 113 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (30 of 2013), the Central Government hereby makes the following Order to remove the aforesaid difficulties, namely:—

1. (1) This Order may be called the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement (Removal of Difficulties) Order, 2015.

(2) It shall come into force with effect from the 1st day of September, 2015.

2. The provisions of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013, relating to the determination of compensation in accordance with the First Schedule, rehabilitation and resettlement in accordance with the Second Schedule and infrastructure amenities in accordance with the Third Schedule shall apply to all cases of land acquisition under the enactments specified in the Fourth Schedule to the said Act.

[F. No. 13011/01/2014-LRD]

K. P. KRISHNAN, Addl. Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.